हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

पंचम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 37

मंगलवार, 20 फरवरी, 2024/1 फाल्गुन, 1945(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 1095(स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्नः 1370 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय कृषि मंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ टिप्पणी करने पर विपक्ष के नेता तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण विरोधस्वरूप अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए तथा अध्यक्ष महोदय से ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालने हेतु आग्रह करने लगे।

Ruling by the Speaker

"I have taken a cognizance of it. Shri Jai Ram Thakurji, this will not be a part of the record."

माननीय मुख्य मंत्री ने इस विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कृषि मंत्री जी द्वारा भाजपा के प्रति कोई गलत टिप्पणी नहीं की गई है।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1371 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री ने उत्तर दिए।

Hon'ble Speaker observed that because the employment of these people was in an emergent situation and the Covid time was an emergent situation, so keeping in view those aspects whether the Government or the department proposes to retain or to continue their services or not? That is the issue.

तारांकित प्रश्न संख्याः 1372 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1373 से 1401 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 456(स्थगित) तथा 587 से 601 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 22वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-2023 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियम एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, राजस्व विभाग, मंडलायुक्त कार्यालय, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याःरैव-ए(बी)1-13/2021(रूल्ज) अधीक्षक ग्रेड-I/(डिव.कॉम.), दिनांक 09.05.2023 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.06.2023 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश, उपायुक्त कार्यालय, अधीक्षक ग्रेड-I, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याःरैव-ए(बी)1-15/2022(रूल्ज), दिनांक 08.11.2023 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.12.2023 को प्रकाशित।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र राणा, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2023-2024) ने समिति का 15वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 51वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को वापिस लिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) वापिस हुआ।

5. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया –

1. श्री चन्द्र कुमार, कृषि मंत्री
2. श्री विपिन सिंह परमार

Observation by the Speaker

Here in the House we discuss the policies. We criticise the Government, the former Government, the present Government but you see the officers they are the machinery and they are not in a position to reply whatever is alleged against them. So, I would request all the Hon'ble Members to please refrain while making an acquisition or allegation against the officers, instead you can allege those things to the Minister and the Ministries.

(1.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री राम कुमार के बारे में कुछ टिप्पणी की गई जिस पर श्री राम कुमार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया।

(14.30 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

आगे चर्चा जारी –

3. श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री
4. डॉ0 जनक राज
5. श्री राजेन्द्र राणा
6. श्री त्रिलोक जम्वाल

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान जिक्र करने पर कि वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया था, **इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने** आपत्ति व्यक्त करते हुए इन शब्दों को कार्यवाही का भाग न बनाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय से आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार ने एक लाख रोज़गार पैदा करने की बात कही है क्योंकि कोई भी सरकार रोज़गार के अवसर ही पैदा करती है। उन्होंने विपक्ष से तथ्यों पर आधारित बातें ही सदन में बोलने हेतु आग्रह किया।

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का पन्ना मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा कि अगर माननीय मुख्य मंत्री चाहें तो वे इसका स्क्रीन शॉट उन्हें भेज सकते हैं जिसमें लिखा है कि सरकार के बनते ही प्रदेश के युवाओं को मंत्रिमण्डल की पहली ही बैठक में 1 लाख सरकारी नौकिरियां दे दी जाएंगी।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को व्हाट्स ऐप या दीवारों पर लिखी गई फेक चीजों पर ज्यादा ध्यान न देने हेतु कहा। उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष आज इन कागज़ों को साइन करके सभा पटल पर रख देंगे तो कल ही हम इनकी जांच करवा देंगे।

7. श्री कुलदीप सिंह राठौर

(04.05 बजे अपराह्न श्री राजेन्द्र राणा सभापति पदासीन हुए।)

8. श्री बलबीर सिंह वर्मा
9. श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव

(04.55 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष द्वारा सूचना

"मैं आप सभी को सहर्ष सूचित करना चाहूँगा कि विधान सभा सचिवालय की ओर से कल दिनाँक 21 फरवरी, 2024 को होटल पीटरहॉफ में रात्रि 08.00 बजे रात्रिभोज का आयोजन किया गया है। अतः आप सभी उसमें सपरिवार सादर आमन्त्रित हैं।"

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 6.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

10. श्री दीप राज

माननीय अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग किए गए कुछ अशोभनीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

11. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य संसदीय सचिव
12. श्री लोकेन्दर कुमार

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान प्रयोग किए गए कुछ अशोभनीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

13. श्री विनोद सुल्तानपुरी

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार ने सदन में कोरम पूरा न होने बारे अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया।

(**06.30 बजे सायं सदन की बैठक का समय 07.00 बजे सायं तक बढ़ाया गया।**)

14. श्री दलीप ठाकुर

(**06.32 बजे सायं उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

15. श्री भुवनेश्वर गौड़

(**07.00 बजे सायं सदन की बैठक का समय 07.15 बजे सायं तक बढ़ाया गया।**)

16. श्री इन्द्र सिंह

(**07.15 बजे सायं सदन की बैठक का समय 07.20 बजे सायं तक बढ़ाया गया।**)

07.20 बजे सायं सदन की बैठक बुधवार, 21 फरवरी, 2024 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।